

Emerging Issues :- Ethnic Resurgence and Identity War

उभरते हुए मुद्दे : संजातीय पुनरुत्थान और पहचान युद्ध

What is ethnicity? नृजातीयता अथवा संजातीयता ~~क्या है?~~ अथवा नस्लवाद क्या है? ethnic शब्द लैटिन शब्द ethnico से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है सामान्य पहचान। संजातीयता एक सामान्य पहचान की भावना को व्यक्त करता है जिसमें लोगों के समूह द्वारा अपने आपको दूसरे समूहों से अलग करने के लिए व्यक्तिपरक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक प्रयोग होता है। यह एक अस्थायी अवधारणा है जो संस्कृतियों, स्वरों और राष्ट्रीयताओं की अभिव्यक्ति या समर्पण है। इसका संबंध विविधता के विचार से है। इन शब्दों की परिभाषा खास सामाजिक समूह के लोगों/ सदस्यों में सामान्य पहचान की जागरूकता के रूप में की गई है। एन्यानी डी. रिमथ ने संजातीयता के अग्रलिखित मानदंडों की बात की है - समूह के सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों-दोनों द्वारा पृथक समुदाय के रूप में पहचाने जाने के लिए विविध समूह नाम, समूह के सदस्यों में ऐतिहासिक स्मृतियों की मौजूदगी, पीढ़ी कथा में समूह के सदस्यों का सहभाजित विश्वास, विविध सहभाजित संस्कृति, निश्चित भूभागीय संबंध क्षेत्र या 'स्वदेश' से संबंध, सामान्य भाई-चारे की भावना और सामान्य धर्म।

संजातीय पुनरुत्थान का स्वरूप या विस्तार → विश्वभर में हाल ही के दशकों में संजातीय राष्ट्रवाद में आवेग (momentum), राज्यों के अंदर और सीमापार संघर्ष तथा हिंसा की मात्रा में बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 199 प्रमुखता सेपन्न राज्यों और लगभग 20 से अधिक गैर प्रमुखता सेपन्न राज्यों से निर्मित राजनीतिक सत्ता की मौजूदगी है। और इसमें लगभग 362 प्रमुख और तीन हजार से अधिक छोटे संजातीय समूह हैं। मुश्किल से कोई ऐसी संजातीय समूह है जो अन्य समूहों के साथ मिलकर रहने की कला में प्रविष्टित है। 192 राज्य क्षेत्रीय प्रमुखता सेपन्न राज्यों में केवल 15 संजातीय समूह हैं जिसमें से आधे सीमापार संघर्ष में शामिल हैं जहाँ पड़ोसी राज्यों में फैले हुए संजातीय समूह रहते हैं। विश्लेषणकर्ताओं के अनुसार विश्व की जनसंख्या के 4 प्रतिशत से भी कम उन राज्यों में रहते

हैं। जिनकी सीमाएँ संजातीय सीमाओं के अनुरूप हैं। राजनीतिक दशाओं में रहने वाले विश्व जनसंख्या के 96 प्रतिशत से अधिक वहाँ रहते हैं जो उनके अपनी स्वभाविक इच्छा या आत्मनिर्णय के अनुकूल नहीं हैं। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर संयोजनवाद (irredentism) द्वारा अनेक तरीके से असंतुष्ट हैं।

समस्या के परिणाम को इस तथ्य से भी मापा जा सकता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से आज तक बहुत लोग राज्यंत्रिक और अंतः-राज्य संघर्षों तथा हिंसा में अपने प्राण गंवा चुके हैं और संजातीय संघर्ष और हिंसा में 75 प्रतिशत से भी अधिक लोग मारे गए हैं। इसलिए संजातीय संघर्ष और हिंसा न केवल सबसे अधिक गंभीर है बल्कि सबसे अधिक जटिल समस्या भी है जिसका सामना मानव जाति कर रही है। संजातीय विविधता जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती है। संजातीय संघर्ष उन बंधनों को प्रति पहुँचाता है जो बिल्खाचार बनाए रखते हैं और यह ज्यादातर हिंसा की जड़ में होती है जिसके फलस्वरूप छूटपाट, मौतें, बेघर और बड़ी संख्या में पलायन होता है।

आधुनिकीकरण और संजातीय पुनरुत्थान एवं संघर्ष → संसालन की दृष्टि से आधुनिकीकरण का अर्थ है शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण, राजनीतिक सहभागिता, औद्योगिक रोजगार एवं मीडिया सहभागिता में का अपेक्षाकृत उच्चतर स्तर प्राप्त करना। जैसे ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वतः खुलती है तो यह राज्य केंद्रीय और गैर राज्य केंद्रीय दोनों संजातीय समूहों में सामाजिक गतिशीलता की दृशाएँ उत्पन्न करती है। आधुनिकीकरण और सामाजिक गतिशीलता की शक्तियाँ राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में पृथक पहचानों की आत्मशासक कर सकती हैं लेकिन इसने मुख्य निष्ठा (राष्ट्रीय पहचान) को संजातीय समूह से राज्य में हस्तांतरित करने में विफल रही है। विश्व में संजातीय अलगाव के पैटर्न (प्रतिमा के बारे में उपलब्ध साक्ष्य इस बात के सूचक हैं कि सामाजिक संचार में सामग्री बढ़ती है और गतिशीलता (mobility) की प्रवृत्ति सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाने की तथा अंतःसंजातीय संघर्ष तेज करने की होती है।

सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं को कम करने, संकर सांस्कृतिक और मिश्रित समाज बनाने की बजाएँ सामाजिक गतिशीलता तथा परिवहन और संचार में प्रौद्योगिकी क्रांति ने बड़ी हुई पृथक सांस्कृतिक-चेतना और पहचान जागरूकता को उत्पन्न किया है। आधुनिकीकरण संजातीय समूह में पहचान

जागरुकता उत्पन्न करता है जिसे संजातीय विविधता वर्ग संजातीय समूहों के अंदर राज्य के विरुद्ध राजनीतिक प्रयोजनों के लिए तैयार करता है। आपुनिकीकरण और सामाजिक गतिशीलता संजातीय आधार पर समूह पहचान को सुदृढ़ करता है और अन्य संजातीय समूहों से भेद के लिए जागरुकता पैदा करता है। आपुनिकीकरण की प्रक्रिया ने अप्रत्याशित रूप से राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न की है। संश्लेष में, आपुनिकीकरण ने विभेदों को तेज किया है, पहचान जागरुकता को सुदृढ़ किया है तथा अंतर संजातीय एवं अंतःसंजातीय हिंसा को पैदा किया है।

तर्कहीन सीमाएँ: राज्य प्रणाली के लिए चुनौती: → राजनीतिक सीमाओं की तर्कहीनता की समस्या बहुत सारे संजातीय संघर्षों के मूल में होता है जिससे दो या अधिक राज्यों में विभाजित संजातीय समूह या तो संजातीय एका के लिए भा मूल राज्य से स्वतंत्रता या दोनों के लिए प्रयास करते हैं। वर्तमान संजातीय संघर्ष की घटना विश्व भर में राज्य की सीमाओं के स्वरूप के कारण भी है। राज्य सीमाओं के परिसीमन और सीमांकन में बहुधा संजातीय बंधन (ethnic bond) या भौगोलिक कारकों की पूर्णता, उपेक्षा की गई। इराक, ईरान, टर्की, अर्मेनिया और सीरिया में कुर्दों का, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बलूचों के बीच, परवतूनों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, विभाजन इसके दृष्टांत हैं।

उपनिवेशीय अवधि के दौरान ये विभाजित संजातीय समूह अल्पसंख्यक थे तथा उपनिवेशवादियों ने इन्हें प्रमुख समूह के विरुद्ध रखा। बाद के दिनों में जब उपनिवेशवाद का दौर खत्म हुआ तो ये अल्पसंख्यक संजातीय समूह अपनी विविध पहचान के लिए संघर्ष की दुनिया में कदम रखा।

आपुनिक राज्य की हस्तक्षेपवादी भूमिका और परंपरागत स्वायत्तता की शक्ति:

आपुनिक राज्यों की हस्तक्षेपवादी नीति का निरंतर विरोध होने लगा। जनजातियों, संजातीय समूहों तथा धार्मिक समुदायों ने राज्य की इस भूमिका को राज्य द्वारा शक्ति के केंद्रीकरण के रूप में देखा और अपनी प्रत्येक पहचान के लिए संकट के रूप में समझा। पूर्व में जब कभी और जहाँ कहीं राज्य ने कठोर नीतियाँ अपनाई, प्रभावित संजातीय समूह या समुदाय ने इसका विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य

द्वारा रक्तपात और शंहर किया गया। केंद्रीय एशिया में रूसी जारों द्वारा रूसीकरण आंदोलन और भारत में हिन्दुओं और सिखों के विरुद्ध मुगल शासकों की ज्यादतियाँ उपर्युक्त स्थिति को प्रमाणित करने वाली ऐतिहासिक वास्तविकताएँ हैं।

आधुनिक राज्य की संजातीयता के प्रति आत्मसातीकरण की नीति :->

आधुनिक राज्य की आत्मसाती हस्तक्षेपवादी और अंतः प्रवेशी क्रियाकलापों का संचित प्रभाव और राष्ट्र निर्माण में उसकी आत्मसातीकरण की नीतियों से उत्पन्न राज्य के संजातीय विरोध ने राज्य व्यवस्था के अंदर कट्टरपंथियों (fundamentalist) को सुदृढ़ किया। इससे संजातीय पहचान और स्वायत्तता को चुनौती बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि संजातीय समुदाय अन्याय, भेदभाव और बौध्दण के लिए मूल राज्य को दोषी मानने लगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि मांगों उग्र रूप धारण करती हैं जिसके प्रत्युत्तर में राज्य का दमन चक्र शुरू होता है। मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसा कि कश्मीर के साथ हुआ, ~~संघ~~ निर्मा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें इत्यादि के द्वारा संजातीय समूह अंतः व्यवस्था में सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और विदेश में रहने वाले ~~संघ~~ संजातीय समूहों के कार्य और क्रियाकलाप को निरंतर वैधता मिल रही है। पाकिस्तान, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि देशों में संजातीय आधार पर विरुद्ध उभरती हुई अंतः राजनीतिक व्यवस्था का सुदृढ़ सूचक है।

तृतीय विश्व के देशों में शासकों ने संजातीय आकांक्षाओं और इसके परिणामस्वरूप विद्रोह का नियंत्रण उपयुक्त ~~हो~~ नहीं किया करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए ~~अस~~। बल्कि शासकों ने आत्मसातीकरण की नीतियों को अपनाया और प्रायः संजातीय प्रतिरोध के सैनिक हल का सहारा लिया। इसके फलस्वरूप संजातीय समूहों ने हिंसात्मक संघर्ष का और आतंकवाद का मार्ग अपनाया एवं स्वायत्तता के बदले पूर्ण स्वतंत्रता की मांगें रखी।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण की शक्तियों ने संजातीय संबंधों को कम करने के बदले उन्हें बढ़ाया है। चारों ओर प्रतिस्पर्धा की तीव्रता जो आधुनिकीकरण का अंतिम उत्पाद है तथा सामा-

5.

जिक-राजनीतिक चेतना उसके स्वाभाविक परिणाम है, संजातीय आधार पर मानव जाति को लाभार्थक (mobilization) करने में उत्प्रेरक का काम किया। औद्योगिकीकरण समाज और इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम, परिवहन और संचार में क्रांति ने सीमित जागरूकता को सुदृढ़ किया है। वास्तव में जागरूकता और प्रतिस्पर्धी-प्रजातीय भाषायी, धार्मिक एवं वैचारिक पहचान के बदले संजातीय पहचान उत्पन्न की।

आधुनिकीकरण ने कल्याणकारी उपायों के आविष्कार को आसान बनाया है। इससे संजातीय समूहों की स्वायत्तता क्षीण होती है और फलस्वरूप सत्तावादी केंद्रीकरण उत्पन्न होता है जो अंततः संजातीय समूहों के द्वारा हिंसक प्रतिरोध में व्यक्त होता है। विकसित देशों ने संजातीय प्रतिरोध को समर्थोजन के माध्यम से नियंत्रित किया जबकि तृतीय विश्व के राज्यों ने इस तरह के प्रतिरोध को शास्त्र की एकता और अखंडता के लिए स्वतंत्र सम्झना के रूप में देखा। इससे निवृत्ति के लिए तृतीय विश्व के राज्यों ने आत्मसातीकरण की नीतियाँ अपनाई और सैन्य कार्रवाई करने में भी परहेज नहीं किया।

तृतीय विश्व के राज्यों के बीच तर्कहीन सीमाओं और असंख्य आपसी विवादों ने उपराष्ट्रीय समूहों को या मूल राज्य को परराष्ट्रीय संबंध बनाने और उनसे सहायता लेना आसान तो बनाया लेकिन अन्यथा आंतरिक संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। उनका संपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अमूर्तपूर्व मात्रा में संजातीय अथवा नस्लीय पुनरुत्थान का मुकाबला कर रहा है जो विश्व शांति के लिए खतरा है।

Identity War (पहचान के लिए युद्ध अथवा संघर्ष)

पहचान से संबंधित संघर्षों की समस्या अति प्राचीनकाल से मानव जाति को परेशान कर रहा है लेकिन आधुनिक काल में यह ज्यादा व्यापक और अधिक हिंसात्मक हो गया है। विश्वभर में चल रहे संघर्षों में से लगभग 75 प्रतिशत से अधिक पहचान से संबंधित हैं। इन पहचानों से संबद्ध संघर्षों की गतिशीलता और आयाम इतने गंभीर हैं कि वे अधिकांश आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की सामाजिक संरचना और राजनीतिक एकता व अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश पहचान से संबद्ध संघर्ष संजातीय अथवा नस्लीय पहचान के संकट पर निर्भर हैं।

* 1991 में विश्व में 37 मुख्य सशस्त्र संघर्ष हुए थे जिसमें से 25 आंतरिक संघर्ष थे। उनमें से अधिकांश पहचान के लिए युद्धों के रूप में संजातीय आधार पर थे जो अलग-अलग प्रकृतियों (Separatist) बन गए। x- 6. Page

पहचान सभी व्यक्तियों में जन्मजात और अनजान व्यवहार के रूप में माना जाता है। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पहचान करने का प्रयास करता है। यह ऐसी भावना उत्पन्न करता है कि व्यक्ति विश्व में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा यहाँ तक कि अध्यात्मिक रूप से सुरक्षित है। व्यक्ति इसी सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है और जब कभी इस पर संकट आता है तो पहचान के लिए संघर्ष की शुरुआत होती है। नीचे कुछ कारकों (factors) की चर्चा की गई है जिसके कारण पहचान के लिए कुछ अथवा संघर्ष हो सकते हैं:

Causes for Identity War

1) पहचान खोने का भय: ^{Fear from loss of identity} :- ऐसा मुख्यतया मनमाने तरीके से राष्ट्रीय प्रवेश निर्माण अथवा नई राजनीतिक रचना में संजातीय समूहों को अपनी पहचान खोने का भय सताने लगता है। भारत में नाजा, मिजो, असम और पाकिस्तान में बलूच और परतूनों ने पहचान खोने का भय से सशस्त्र संघर्ष किया जब नए राज्य ने राष्ट्रीय संदर्भ में एकीकरण प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। ^{Fear of getting swamped}

2) आत्मसातकरण का भय: ^{Fear of internalisation of identity} :- अल्पसंख्यक संजातीय समूहों को बहुसंख्यक की ओर से आत्मसातकरण का भय रहता है। भारत में पंजाबी सूबा या सिख होमलैंड के लिए सिख समुदाय की मांग और पाकिस्तान में सिंधु देवा के लिए मांग का उद्देश्य 'हमें' और 'उन्हें' के बीच सीमा का राज्य क्षेत्रीय अंकन द्वारा उनकी पहचान बचाने के लिए है। ^{Suppression}

3) अवहेलना का भय: ^{Fear from dilution of identity} :- यह मुख्यतया देही लोगों पर बाहरी समूह के प्रभुत्व के फलस्वरूप होता है। ऐसी स्थिति में देही लोगों की स्थिति निष्प्रभावी हो जाती है और अपने ही राज्य क्षेत्र में वे अल्पसंख्यक की स्थिति में पहुँच जाते हैं। जैसा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के रेड इंडियन के मामले में हुआ है। ^{Feelings of discrimination and negation}

4) आपेक्षिक वंचन और भेदभाव की अनुभूति: ^{Feelings of discrimination and negation} :- अल्पसंख्यक अधिकारों को अस्वीकार करने और राष्ट्रीय जीवन और सरकारी पदों में भेदभाव करने से परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक संजातीय समूहों को वंचित रखा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसा कि श्रीलंका में तमिलों, बंगलादेश में हिन्दुओं और पाकिस्तान में मुहाजिरों एवं बलूचों के मामले में भेदभाव होता है।

Feelings of (helplessness)

5) विवशता (शक्तिहीनता) की भावना → शासक वर्ग द्वारा अपनाए गए बहुमतवाद से अल्पसंख्यकों में शक्तिहीनता की भावना उत्पन्न होती है जिससे अल्पसंख्यकवाद का जन्म होता है। भारत में सिख, कश्मीरी, श्रीलंका में तमिल, पाकिस्तान में सिंधी बलूच इल अल्पसंख्यकवाद के आदर्श उदाहरण हैं।

हाल के संजातीय संघर्ष या पहचान के लिए युद्ध की बस्ती हुई संख्या भविष्य में परिस्थितियों का स्पष्ट सूचक है। एक अनुमान के अनुसार *